

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 19]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 मई 2017—वैशाख 22, शक 1939

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, कलेक्टर (शहरी विकास अभिकरण), जिला गुना, मध्यप्रदेश

गुना, दिनांक 6 मार्च 2017

क्र.-डूडा-2017-122- क्र. 510 दिनांक 6 मार्च 2017 मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37, सन् 1961) की धारा 5(1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा नीचे दी गई सारणी में वर्णित ग्राम पंचायतों के ग्रामों को मिलाकर नगर परिषद् मधुसूदनगढ़ का गठन करती है, अर्थात् :-

सारणी				
क्र. (1)	जिला (2)	तहसील (3)	ग्राम पंचायत का नाम (4)	सम्मिलित क्षेत्र/ग्रामों का विवरण (5)
1	गुना	मधुसूदनगढ़	(1) मधुसूदनगढ़ (2) नलखेडा (3) कोलारस (4) बारोद (5) परवरिया (6) तोरई	(1) मधुसूदनगढ़ (2) गणेशपुरा (1) नलखेडा (2) श्रीपुरा (1) गोबिंदपुरा (1) बारोद (1) परवरिया (2) विधोरिया (3) मंत (1) तोरई (2) राधौपुरा

राजेश जैन, कलेक्टर.

Guna, the 6th March 2017

No. Duda-2017-122-Not. No. 510 date 6th March, 2017.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 5 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government, hereby, constitutes the Municipal Council Madhusudangarh comprising the villages of village panchayats mentioned in the table given below, namely :—

TABLE

S. No.	District	Tehsil	Name of village panchayat	Areas included/details of village
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Guna	Madhusudangarh	(1) Madhusudangarh (2) Nalkheda (3) Kolaras (4) Baarod (5) Parvariya (6) Torai	(1) Madhusudangarh (2) Ganeshpura (1) Nalkheda (2) Shripura (1) Govindpura (1) Baarod (1) Parvariya (2) Vidhoriya (3) Mant (1) Torai (2) Radhopura

RAJESH JAIN, Collector.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश

नगरपालिका परिषद्, शहडोल के आम चुनाव वर्ष 2017 के लिये वार्डों के आरक्षण की कार्यवाही विवरण

शहडोल, दिनांक 24 अप्रैल 2017

क्र. स्था. निर्वा. 2017-1007.—दिनांक 20-04-2017 को प्रातः 12 बजे कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में म. प्र. नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम 1994 में निहित प्रावधानों के अनुरूप पूर्व में जारी विज्ञप्ति क्रमांक 986/स्था. निर्वा./10-04-2017 के अनुसार विहित प्राधिकारी (कलेक्टर), वरिष्ठ लिपिक शाखा, अपर कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी सोहागपुर तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी शहडोल एवं विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि तथा नगर पालिका परिषद् शहडोल के प्रतिनिधियों एवं अन्य गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में नगर पालिका परिषद् शहडोल के आरक्षण की कार्यवाही प्रारंभ की गयी. वर्गवार कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है :—

अ. जा. वर्ग के लिये आरक्षण.—शहडोल नगरपालिका की कुल जनसंख्या-86681 है. जिसमें से अनुसूचित जाति वर्ग की जनसंख्या 6615 है. जो कुल जनसंख्या का 7.63% है. जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर कुल 39 वार्डों में 7.63% के आधार पर 2.97% अर्थात् 3 वार्ड अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित किये जाते हैं जिसमें सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाले वार्ड अरोही क्रम में वार्ड नं. 22 (42.73%), 33(25.43%) एवं 26 (21.64%) अ. जा. के लिये आरक्षित किये जाते हैं. म. प्र. नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32क के अनुसार यथाशक्य 50% पद महिलाओं के लिये आरक्षित रहेंगे. उपरोक्त 3 वार्डों में 50 प्रतिशत के आधार पर महिलाओं की संख्या 1.5 आती है जिसे पूर्णांक में 2 लिया जाता है. अर्थात् 2 वार्ड महिलाओं के लिये आरक्षित रहेंगे एवं एक वार्ड मुक्त रहेगा. पूर्व के आरक्षण में वार्ड नं. 22 महिला के लिये आरक्षित था जिसे इस बार मुक्त किया जाता है. तथा शेष दो वार्ड 33 एवं 26 महिलाओं के लिये आरक्षित किये जाते हैं. अतः अ. जा. के लिये किसी प्रकार के लाट की आवश्यकता नहीं है.

अ. ज. जा. वर्ग के लिये आरक्षण.—शहडोल नगरपालिका की कुल जनसंख्या-86681 है. जिसमें से अनुसूचित जनजाति वर्ग की जनसंख्या 7948 है. जो कुल जनसंख्या का 9.16% है. जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर कुल 39 वार्डों में 9.16% के आधार पर 3.57 अर्थात् 4 वार्ड अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित किया जाता है जिसमें सर्वाधिक अनुसूचित

जनजाति की जनसंख्या वाले वार्ड अरोही क्रम में वार्ड नं. 1 (40.72%), 6 (27.55%) एवं 12 (24.95%) एवं 2 (24.65%) अ. ज. जा. के लिये आरक्षित किये जाते हैं. उपरोक्त 4 वार्डों में 50 प्रतिशत के आधार पर महिलाओं के लिये दो वार्ड आरक्षित रहेंगे एवं दो वार्ड मुक्त रहेगा. पूर्व के आरक्षण में वार्ड नं. 1 महिला के लिये आरक्षित था जिसे इस बार मुक्त किया जाता है एवं वार्ड नं. 6 पूर्व आरक्षण में मुक्त था उसे महिला के लिये आरक्षित किया जाता है. वार्ड नं. 12 पूर्व आरक्षण में मुक्त था उसे भी महिला के लिये आरक्षित किया जाता है. वार्ड नं. 2 पूर्व में महिला के लिये आरक्षित था उसे मुक्त किया जाता है. इस प्रकार अ. ज. जा. वर्ग के लिये वार्ड नं. 6 एवं 12 महिला संवर्ग के लिये एवं वार्ड नं. 1 एवं 2 मुक्त रहेंगे. इस प्रकार अ. ज. जा. के आरक्षण के लिये किसी प्रकार के लाट की आवश्यकता नहीं है.

अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षण.—अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के लिये पूर्व आरक्षण के समय अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित वार्डों को अलग करते हुए एवं अ. जा. एवं अ. ज. जा. के वार्डों के अलग करते हुये शेष बचे हुये वार्डों में कुल वार्डों का 25% के आधार पर कुल 9.75 अर्थात् कुल 10 वार्डों को चयन लाट के माध्यम से किया जावेगा. पूर्व में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित वार्ड 13, 14, 16, 30, 38, 39, 34, 37 थे जिन्हें लाट प्रक्रिया से अपवर्जित किया जाता है. इसी प्रकार अ. जा. के आरक्षित वार्ड 22, 33, 26 एवं अ. ज. जा. के आरक्षित वार्ड 1,6,12,2 भी लाट प्रक्रिया से पृथक् किया जाता है. तथा नये परिसीमन के उपरांत नये बने वार्ड 7,9,15,17,25 है. जिनको लाट से पृथक् किया जाता है. शेष बचे वार्ड 3, 4, 5, 8, 10, 11, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 31, 32, 35, 36 में लाट के माध्यम से 10 अन्य पिछड़ा वर्ग के वार्डों के लिये लाट निकाला गया. लाट के माध्यम से अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये वार्ड नं. 3, 4, 5, 11, 19, 23, 27, 28, 35, 36 आरक्षित किया जाता है. इन अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षित वार्डों में से वार्ड नं. 3, 4, 5, 27, 28 एवं आरक्षण में महिला वर्ग के लिये आरक्षित थे अतः इन्हें इस बार मुक्त किया जाता है. तथा वार्ड नं. 11, 35, 36, 19, 23 पूर्व आरक्षण में मुक्त थे अतः इन्हें महिला के लिये आरक्षित किया जाता है. इस प्रकार इस संवर्ग के लिये महिला/मुक्त वार्डों के लिये लाट की आवश्यकता नहीं है. अन्य पिछड़ा वर्ग के वार्ड नं. 3, 4, 5, 27,28 मुक्त वार्ड आरक्षित किये जाते हैं एवं वार्ड नं. 11, 35, 36, 19, 23 अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिये आरक्षित किये जाते हैं.

अनारक्षित वर्ग के लिये आरक्षण.—अन्य वर्ग आरक्षण के लाट से शेष बचे 22 वार्ड अनारक्षित वर्ग के लिये रहेगे. इसमें से पूर्व आरक्षण को ध्यान में रखते हुए (50 प्रतिशत) कुल 11 वार्ड चक्रानुक्रम में महिलाओं के लिये लाट के माध्यम से आरक्षित किये जायेंगे. वार्ड नं. 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 38, 39 में से अनारक्षित महिला के लिये लाट निकाला गया. जिसमें से वार्ड नं. 9, 14, 15, 17, 20, 24, 25, 29, 32, 34, 37 अनारक्षित महिला के लिये आरक्षित किये जाते हैं. तथा शेष 7, 8, 10, 13, 16, 18, 21, 30, 31, 38, 39 वार्ड अनारक्षित मुक्त आरक्षित किये जाते हैं. इस प्रकार नगर पालिका परिषद् शहडोल के वार्ड आरक्षण की कार्यवाही पूर्ण की जाती है.

कलेक्टर एवं विहित प्राधिकारी,
नगरपालिका/नगर परिषद्
शहडोल जिला शहडोल, म. प्र.

नगरपालिका परिषद् शहडोल के वार्डों का आरक्षण चार्ट वर्ष 2017

क्र.	नगरीय निकाय का नाम	कुल वार्डों की संख्या	अ.जा. के लिये आरक्षित वार्ड क्रमांक		अ.ज.जा. के लिये आरक्षित वार्ड क्रमांक		अ.पि.वर्ग के लिये आरक्षित वार्ड क्रमांक		अनारक्षित वार्ड क्र.	
			मुक्त	महिला	मुक्त	महिला	मुक्त	महिला	मुक्त	महिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	नगर पालिका परिषद्, शहडोल.	39	22	26 33	1,2	6,12	3,4,5, 27,28	11,35,36, 19,23	7,8,10,13, 16,18,21, 24,25,29,32,34, 30,31,38,	9,14,15,17,20, 37
योग			1	2	2	2	5	5	11	11

नगरपालिका परिषद् शहडोल के वर्ष 2017 का वार्डवार आरक्षण स्टेट्स

वार्ड क्र.	वार्ड का नाम	कुल जनसंख्या	अ. जा. की जनसंख्या	अ. जा. का प्रतिशत	अ. ज. जा. की जनसंख्या	अ. ज. जा. का प्रतिशत	आरक्षण स्टेट्स	
							अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./अनारक्षित	महिला/मुक्त
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	बिरसा मुण्डा वार्ड	3025	95	3.14	1232	40.72	अ.ज.जा.	मुक्त
2	राजेन्द्र वार्ड	2040	297	14.55	503	24.65	अ.ज.जा.	मुक्त
3	शंहशाह वार्ड	2783	3	0.10	263	9.45	अ.पि.वर्ग	मुक्त
4	विराट वार्ड	2551	57	2.23	191	7.48	अ.पि.वर्ग	मुक्त
5	पदमधर वार्ड	2397	34	1.41	46	1.91	अ.पि.वर्ग	मुक्त
6	पाण्डवनगर वार्ड	2290	186	8.12	631	27.55	अ.ज.जा.	महिला
7	कुशाभाऊ ठाकरे वार्ड	2154	100	4.64	200	9.28	अनारक्षित	मुक्त
8	इकबाल वार्ड	2603	50	1.92	150	5.76	अनारक्षित	मुक्त
9	सरस्वती वार्ड	2608	65	2.4	338	12.09	अनारक्षित	महिला
10	गांधी वार्ड	2501	96	3.83	203	8.11	अनारक्षित	मुक्त
11	शम्भू नाथ वार्ड	1819	22	12.90	11	0.60	अ.पि.वर्ग	महिला
12	टैगोर वार्ड	1735	74	4.26	433	24.95	अ.ज.जा.	महिला
13	भगत सिंह वार्ड	2549	117	4.59	257	10.08	अनारक्षित	मुक्त
14	हर्ष वार्ड	2136	72	3.37	127	5.94	अनारक्षित	महिला
15	चन्द्रशेखर आजाद वार्ड	2108	73	3.46	127	6.02	अनारक्षित	महिला
16	सरदार पटेल वार्ड	3075	168	5.46	465	15.12	अनारक्षित	मुक्त
17	सतगुरु वार्ड	2565	190	7.40	78	3.04	अनारक्षित	महिला
18	इंदिरा वार्ड	1398	16	1.14	62	4.43	अनारक्षित	मुक्त
19	हनुमान वार्ड	1527	38	2.48	54	3.53	अ.पि.वर्ग	महिला
20	जवाहर वार्ड	1808	125	6.61	81	4.48	अनारक्षित	महिला
21	सुभाष वार्ड	1196	9	0.75	23	1.92	अनारक्षित	मुक्त
22	अम्बेडकर वार्ड	2617	1119	42.75	80	3.05	अ. जा.	मुक्त
23	छत्रसाल वार्ड	2971	421	14.17	217	7.30	अ.पि.वर्ग	महिला
24	श्यामाप्रसाद मुखर्जी वार्ड	2819	250	8.86	169	5.99	अनारक्षित	महिला
25	पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड.	3330	230	6.90	100	3.00	अनारक्षित	महिला
26	शास्त्री वार्ड	1215	263	21.64	11	0.90	अ. जा.	महिला
27	अशोक वार्ड	1536	91	5.92	22	1.43	अ.पि. वर्ग	मुक्त
28	गणेश वार्ड	3424	259	7.56	181	5.28	अ.पि. वर्ग	मुक्त
29	शिवाजी वार्ड	3536	191	5.40	371	10.49	अनारक्षित	महिला
30	आदर्श वार्ड	2900	192	6.62	170	5.86	अनारक्षित	मुक्त
31	विवेकानंद वार्ड	1985	14	0.70	87	4.38	अनारक्षित	मुक्त
32	महावीर वार्ड	1542	127	8.23	14	0.90	अनारक्षित	महिला
33	भुई बांध(वार्ड	1675	426	25.43	177	10.56	अ. जा.	महिला
34	डॉ. हेडगेवार वार्ड	1134	148	13.05	76	6.70	अनारक्षित	महिला
35	तिलक वार्ड	1230	117	9.51	24	1.95	अ.पि.वर्ग	महिला
36	कबीर वार्ड	2508	190	7.57	209	8.33	अ.पि.वर्ग	महिला
37	शंकर वार्ड	2134	282	13.21	173	8.10	अनारक्षित	महिला
38	जफर वार्ड	2444	239	9.77	153	6.26	अनारक्षित	मुक्त
39	सर्वोदय वार्ड	1813	38	2.09	239	13.18	अनारक्षित	मुक्त
योग		86681	6615	7.63	7948	9.16%		

नगरपालिका परिषद् धनपुरी के आम चुनाव वर्ष 2017 के लिये वार्डों के आरक्षण की कार्यवाही वितरण

शहडोल, दिनांक 24 अप्रैल 2017

क्र. स्था. निर्वा. 2017-2100.—दिनांक 22 अप्रैल 2017 को प्रातः बजे कलेक्टर के सभाकक्ष में मध्यप्रदेश नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम 1994 में निहित प्रावधानों के अनुरूप पूर्व में जारी विज्ञप्ति क्रमांक-986/स्था. निर्वा./10-04-2017 के अनुसार विहित प्राधिकारी (कलेक्टर), वरिष्ठ लिपिक शाखा, अपर कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी सोहागपुर तथा मुख्य नगरपालिका अधिकारी धनपुरी एवं विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि तथा नगरपालिका परिषद् धनपुरी के प्रतिनिधियों एवं अन्य गणमान्य नागरिकों की उपस्थित में नगरपालिका परिषद् धनपुरी के आरक्षण की कार्यवाही प्रारंभ की गई. वर्गवार कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है :—

अ. जा. वर्ग के लिये आरक्षण.—धनपुरी नगर पालिका की कुल जनसंख्या-45156 है. जिसमें अनुसूचित जाति वर्ग की जनसंख्या 4261 है जो कुल जनसंख्या का 9.44% है. जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर कुल 24 वार्डों में 9.44%के आधार पर 2.26 अर्थात् 2 वार्ड अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित किये जाते हैं. जिसमें सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाले वार्ड आरोही क्रम में वार्ड क्र. 11 (18.14%) एवं वार्ड क्र. 10 (17.38%), अ. जा. के लिये आरक्षित किये जाते हैं. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 क के अनुसार यथाशक्य 50 प्रतिशत पद महिलाओं के लिये आरक्षित रहेंगे. उपरोक्त 2 वार्डों में 50 प्रतिशत के आधार पर महिलाओं की संख्या 1 आती है. अर्थात् 1 वार्ड महिला के लिये आरक्षित रहेगा एवं 1 वार्ड मुक्त रहेगा. पूर्व के आरक्षण में वार्ड क्र. 10 एवं 11 मुक्त था. जिसके कारण लाट द्वारा एक महिला वार्ड आरक्षित किया जावेगा. लाट में वार्ड क्रमांक 11 अ. जा. महिला के लिये आरक्षित किया जाता है.

अ. ज. जा. वर्ग के लिये आरक्षण.—धनपुरी नगरपालिका की जनसंख्या—45156 है. जिसमें अनुसूचित जनजाति वर्ग की जनसंख्या 8390 है जो कुल जनसंख्या का 18.58% है. जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर कुल 24 वार्डों में 18.58% के आधार पर 4.45 अर्थात् 4 वार्ड अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित किये जाते हैं. जिसमें सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाले वार्ड आरोही क्रम में वार्ड क्र. 22 (59.30%), वार्ड क्र.-13 (50.99%), वार्ड क्र.-24 (42.96%) एवं वार्ड क्र.-14 (33.31%), अ. ज. जा. के लिये आरक्षित किये जाते हैं. उपरोक्त 4 वार्डों में 50 प्रतिशत के आधार पर महिलाओं के लिये 2 वार्ड आरक्षित रहेंगे एवं 2 वार्ड मुक्त रहेंगे. पूर्व के आरक्षण में वार्ड क्र.-22 महिला के लिये आरक्षित था जिसे इसबार मुक्त किया जाता है एवं वार्ड क्र.-13 पूर्व आरक्षण में मुक्त था उसे महिला के लिये आरक्षित किया जाता है. वार्ड क्र.-14 पूर्व आरक्षण में मुक्त था उसे भी महिला के लिये आरक्षित किया जाता है. वार्ड क्र.-24 पूर्व में अनारक्षित महिला था जिसे जनसंख्या की मान के अनुसार अ. ज. जा. के लिये मुक्त किया जाता है. इस प्रकार अ. ज. जा. वर्ग के लिये वार्ड क्र. 13 एवं 14 महिला संवर्ग के लिये एवं वार्ड क्र.-22 एवं 24 मुक्त रहेंगे. इस प्रकार अ. ज. जा. के लिये किसी प्रकार के लाट की आवश्यकता नहीं है.

अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षण.—अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के लिये पूर्व आरक्षण के समय अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित वार्डों को अलग करते हुये एवं अ. जा. तथा अ. ज. जा. के वार्डों को अलग करते हुये शेष बचे हुये वार्डों में कुल वार्डों का 25 प्रतिशत के आधार पर कुल 6 वार्डों का चयन लाट के माध्यम से किया जावेगा. पूर्व में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित वार्ड 1, 2, 4, 9, 18, 23, थे जिन्हे लाट प्रक्रिया से अपवर्जित किया जाा है. किसी प्रकार अ. जा. के आरक्षित वार्ड 10, 11 एवं अ. ज. जा. के आरक्षित वार्ड 13, 14, 22, 24 को भी लाट प्रक्रिया से पृथक् किया जाता है. शेष बचे वार्ड 3, 5, 6, 7, 8, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 21 में लाट के माध्यम से 6 अन्य पिछड़ा वर्ग के वार्डों के लिये लाट निकाला गया है. लाट के माध्यम से अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये वार्ड क्र.-7, 8, 12, 17, 19, 20 आरक्षित किया जाता है. इन अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षित वार्डों में से वार्ड क्र.-7, 8, 17 पूर्व आरक्षण में महिला वर्ग के लिये आरक्षित थे. अतः इन्हें इस बार मुक्त किया जाता है तथा वार्ड क्र.-12, 19, 20 पूर्व आरक्षण में मुक्त थे. अतः इन्हे महिला के लिये आरक्षित किया जाता है. इस प्रकार इस संवर्ग के लिये महिला/मुक्त वार्डों के लिये लाट की आवश्यकता नहीं है. अन्य पिछड़ा वर्ग के वार्ड क्र.-7, 8, 17 मुक्त वार्ड आरक्षित किये जाते हैं एवं वार्ड क्र.-12, 19, 20 अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिये आरक्षित किये जाते हैं.

अनारक्षित वर्ग के लिये आरक्षण.—अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के लाट से शेष बचे 6 वार्ड एवं पूर्व में आरक्षित अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षित 6 वार्ड कुल 12 वार्ड (वार्ड नं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 15, 16, 18, 21, 23) अनारक्षित वर्ग के लिये रहेंगे. इसमें से पूर्व आरक्षण को ध्यान में रखते हुये (50 प्रतिशत) अर्थात् कुल 6 वार्ड चक्रानुक्रम में महिलाओं के लिये लाट के माध्यम से आरक्षित किये जायेंगे.

वार्ड क्र.-1, 2, 3, 6, 23 कुल 5 वार्ड पूर्व आरक्षण में मुक्त थे उन्हें महिला वर्ग के लिये आरक्षित किया जाता है। लेकिन महिलाओं के कुल 6 वार्ड आरक्षित होना है। अतः शेष बचे वार्ड 4, 5, 9, 15, 16, 18, 21 में से 1 अनारक्षित महिला के लिये लाट निकाला गया। जिसमें से वार्ड क्र.-1, 2, 3, 4, 6, 23 अनारक्षित महिला के लिये आरक्षित किए जाते हैं। तथा शेष 5, 9, 15, 16, 18, 21 वार्ड अनारक्षित मुक्त आरक्षित किये जाते हैं। इस प्रकार नगरपालिका परिषद् धनपुरी के वार्ड आरक्षण की कार्यवाही पूर्ण की जाती है।

दिनांक.—

कलेक्टर एवं विहित प्राधिकारी,
नगर पालिका परिषद् धनपुरी
जिला शहडोल म. प्र.

नगरपालिका परिषद् धनपुरी के वार्डों का आरक्षण चार्ट वर्ष 2017

क्र.	नगरीय निकाय का नाम	कुल वार्डों की संख्या	अ.जा. के लिये आरक्षित वार्ड क्रमांक	अ.ज.जा. के लिये आरक्षित वार्ड क्रमांक	अ.पि.वर्ग के लिये आरक्षित वार्ड क्रमांक	अनारक्षित वार्ड क्र.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			मुक्त	महिला	मुक्त	महिला	मुक्त	महिला	मुक्त	महिला
1	नगर पालिका परिषद्, धनपुरी.	24	10	11	22, 24	13, 14	7, 8, 17	12, 19, 20	5, 9, 15, 16, 18, 21	1,2,3,4, 6, 23
योग			1	1	2	2	3	3	6	6

नगरपालिका परिषद् धनपुरी के वर्ष 2017 का वार्डवार आरक्षण स्टेट्स

वार्ड क्र.	वार्ड का नाम	कुल जनसंख्या	अ. जा. की जनसंख्या	अ. जा. का प्रतिशत	अ. ज. जा. की जनसंख्या	अ. ज. जा. का प्रतिशत	आरक्षण स्टेट्स	अ.जा./अ.ज.जा./ अ.पि.व./अनारक्षित	महिला/ मुक्त
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	शम्भूनाथ शुक्ला वार्ड	4934	366	7.42	512	10.38	अनारक्षित	महिला	
2	जयप्रकाश वार्ड	2710	336	12.40	378	13.95	अनारक्षित	महिला	
3	गुरूनानक वार्ड	2042	144	7.05	412	20.18	अनारक्षित	महिला	
4	गणेश दत्त झा वार्ड	1295	211	16.29	194	14.98	अनारक्षित	महिला	
5	लोकमान्य तिलक वार्ड	1700	93	5.47	57	3.35	अनारक्षित	मुक्त	
6	गुरूद्वारा वार्ड	2052	161	7.85	85	4.14	अनारक्षित	महिला	
7	डॉ. अम्बेडकर वार्ड	2022	303	14.99	325	16.07	अ.पि.वर्ग	मुक्त	
8	मोतीलाल नेहरू वार्ड	2663	173	6.50	786	29.52	अ.पि.वर्ग	मुक्त	
9	स्टेडियम वार्ड	1091	94	8.62	300	27.50	अनारक्षित	मुक्त	
10	पं. जमुना प्रसाद वार्ड	1456	253	17.38	252	17.31	अ.जा.	मुक्त	
11	स्टाफ कालोनी वार्ड	976	177	18.14	94	9.63	अ.जा.	महिला	
12	टिपलर वार्ड	764	86	11.26	108	14.14	अ.पि.वर्ग	महिला	
13	एम.पी.आई. वार्ड	1116	92	8.24	569	50.99	अ.ज.जा.	महिला	
14	बगमतिया वार्ड	1216	172	14.14	405	33.31	अ.ज.जा.	महिला	
15	लोहिया वार्ड	2725	179	6.57	236	8.66	अनारक्षित	मुक्त	
16	अब्दुल कलाम वार्ड	1793	254	14.17	119	6.64	अनारक्षित	मुक्त	
17	कच्छी मोहल्ला वार्ड	2291	84	3.67	586	25.58	अ.पि.वर्ग	मुक्त	
18	गुलजारीलाल वार्ड	1873	103	5.50	129	6.89	अनारक्षित	मुक्त	
19	बाजार वार्ड	1774	196	11.05	20	1.13	अ.पि.वर्ग	महिला	
20	ज्वालामुखी वार्ड	2057	208	10.11	334	16.24	अ.पि.वर्ग	महिला	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
21	महात्मा गांधी वार्ड	1946	133	6.83	521	26.77	अनाराक्षित	मुक्त
22	सिलपरी वार्ड	1845	101	5.47	1094	59.30	अ.ज.जा.	मुक्त
23	आलम गंज वार्ड	1223	88	7.20	190	15.54	अनाराक्षित	महिला
24	सिद्ध बाबा वार्ड	1592	254	15.95	684	42.96	अ.ज.जा.	मुक्त
कुल योग . . .		45156	4261	9.44	8390	18.58		

स्थान: शहडोल

मुकेश कुमार शुक्ल, कलेक्टर.

दिनांक : 22-04-2017

नगर परिषद् बुढ़ार के आम चुनाव वर्ष 2017 के लिये वार्डों के आरक्षण की कार्यवाही विवरण

शहडोल, दिनांक 24 अप्रैल 2017

क्र.-स्था. निर्वा.-2017.—दिनांक 21-04-2017 को 12:30 बजे दिन कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में म. प्र. नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण), नियम 1994 में निहित प्रावधानों के अनुरूप पूर्व में जारी विज्ञप्ति क्रमांक 986/स्था.निर्वा./10-04-2017 के अनुसार विहित प्राधिकारी (कलेक्टर), वरिष्ठ लिपिक शाखा, अपर कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी सोहागपुर, तहसीलदार बुढ़ार तथा मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर परिषद् बुढ़ार एवं विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि तथा नगर परिषद् बुढ़ार के प्रतिनिधियों एवं अन्य गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में नगर परिषद् बुढ़ार के वार्डों के आरक्षण की कार्यवाही प्रारंभ की गई. वर्गवार कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है:—

अ.जा. वर्ग के लिये आरक्षण.—बुढ़ार नगर परिषद् की कुल जनसंख्या 19,289 है. जिसमें से अनुसूचित जाति वर्ग की जनसंख्या 2199 है, जो कुल जनसंख्या का 11.40 प्रतिशत है. जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर कुल 15 वार्डों में 11.40 प्रतिशत के आधार पर 1.71 अर्थात् 2 वार्ड अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित किये जाते हैं. जिसमें सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाले वार्ड आरोही क्रम में वार्ड क्र. 8 (37.42 %), 4 (28.98 %), अ. जा. के लिये आरक्षित किये जाते हैं. म. प्र. नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धार 29 क के अनुसार यथाशक्य 50 प्रतिशत पद महिलाओं के लिये आरक्षित रहेंगे. उपरोक्त 02 वार्डों में 50 प्रतिशत के आधार पर महिला की संख्या 1 आती है. अर्थात् 1 वार्ड महिलाओं के लिये आरक्षित रहेंगे—एवं 1 वार्ड मुक्त रहेगा. पूर्व में आरक्षण में वार्ड क्रमांक 4 एवं 8 अनाराक्षित था. अतः अनुसूचित जाति महिला आरक्षण के लिये वार्ड क्रमांक 04 एवं वार्ड क्रमांक 08 से लॉट निकाला गया, लॉट के आधार पर वार्ड क्रमांक, 08 अनुसूचित जाति महिला के लिये आरक्षित किया जाता है.

अ.ज.जा. वर्ग के लिये आरक्षण.—बुढ़ार नगर परिषद् की कुल जनसंख्या 19289 है. जिसमें से अनुसूचित जनजाति वर्ग की जनसंख्या 1779 है जो कुल जनसंख्या का 9.22 प्रतिशत है. जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर कुल 15 वार्डों में 9.22 प्रतिशत के आधार पर 1.38 अर्थात् 1 वार्ड अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित किये जाते हैं. जिसमें सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाले वार्ड आरोही क्रम में वार्ड क्रमांक 7 (21.70%), अ.ज.जा. के लिये आरक्षित किये जाते हैं. म. प्र. नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण) नियम 1994 के नियम 3 के परंतुक अनुसार अनुसूचित जातियां या अनुसूचित जनजातियों के लिये केवल एक वार्ड आरक्षित किया गया है उस स्थिति में वह वार्ड अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिये आरक्षित नहीं होगा. चूंकि अनुसूचित जनजाति के लिये केवल 1 वार्ड आरक्षित हुये है. अतः नियम के अनुक्रम में अनुसूचित जनजाति महिला के लिये कोई आरक्षण नहीं होगा.

अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षण.—अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के लिये पूर्व आरक्षण के समय अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित वार्डों को अलग करते हुये एवं अ.जा. एवं अ.ज.जा. के वार्डों को अलग करते हुये शेष बचे हुये वार्डों में कुल वार्डों का 25 प्रतिशत के आधार पर कुल 3.75 अर्थात् कुल 4 वार्डों का चयन लॉट के माध्यम से किया जावेगा. पूर्व में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित वार्ड 2, 5, 7 एवं 12 थे, जिन्हें लॉट प्रक्रिया से अपवर्जित किया जाता है.

इसी प्रकार अ. जा. के आरक्षित वार्ड 4 एवं 8 एवं अ.ज.जा. के आरक्षित वार्ड 7 भी लॉट प्रक्रिया से पृथक किया जाता है। शेष बचे वार्ड 1, 3, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15 में लॉट के माध्यम से 4 अन्य पिछड़ा वर्ग के वार्डों के लिये लॉट निकाला गया। लॉट के माध्यम से अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये 13,06,01,03 आरक्षित किया जाता है। इन अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षित वार्डों में से वार्ड क्रमांक 01, 13 पूर्व आरक्षण में महिला वर्ग के लिये आरक्षित थे, अतः इन्हें इस बार मुक्त किया जाता है, तथा वार्ड क्रमांक 03,06 पूर्व आरक्षण में मुक्त थे, अतः इन्हें महिला के लिये आरक्षित किया जाता है। इस प्रकार इस संवर्ग के लिये महिला/मुक्त वार्डों के लिये लॉट की आवश्यकता नहीं है। अन्य पिछड़ा वर्ग के वार्ड क्रमांक 01,13 मुक्त वार्ड आरक्षित किये जाते हैं, एवं वार्ड क्रमांक 03, 06 अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिये आरक्षित किये जाते हैं।

अनारक्षित वर्ग के लिये आरक्षण.—अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के लॉट से शेष बचे वार्ड क्रमांक 02, 05, 09, 10, 11, 12, 14 एवं 15 कुल 08 वार्ड अनारक्षित वर्ग के लिये रहेंगे। इसमें से कुल वार्ड का 50 प्रतिशत अर्थात् 8 वार्ड में से अनुसूचित जाति महिला के लिये 1 वार्ड एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित किये गये 2 वार्ड को जोड़ने पश्चात् शेष 5 वार्ड अनारक्षित महिला के लिये आरक्षित होंगे। पूर्व आरक्षण में वार्ड क्रमांक 05, 11, एवं 14 मुक्त वार्ड थे जो अब अनारक्षित महिला के लिये आरक्षित किये जाते हैं। शेष 02 महिला आरक्षण के लिये पूर्व आरक्षण में महिला आरक्षित वार्ड क्रमांक 15 अनारक्षित महिला होंगे। इस प्रकार वार्ड क्रमांक 05, 09, 11, 14 एवं 15 अनारक्षित महिला के लिये आरक्षित किया जाते हैं। शेष वार्ड क्रमांक 02, 10 एवं 12 अनारक्षित मुक्त किये जाते हैं। इस प्रकार नगर परिषद् बुढ़ार के वार्ड आरक्षण की कार्यवाही पूर्ण की जाती है।

कलेक्टर एवं विहित अधिकारी
नगरपालिका/नगर परिषद्
शहडोल, जिला शहडोल (म. प्र.).

नगर परिषद् बुढ़ार के वार्डों का आरक्षण चार्ट वर्ष 2017

क्र.	नगरीय निकाय का नाम	कुल वार्डों की संख्या	अ.जा. के लिये आरक्षित वार्ड क्रमांक		अ.ज.जा. के लिये आरक्षित वार्ड क्रमांक		अ.पि.वर्ग के लिये आरक्षित वार्ड क्रमांक		अनारक्षित वार्ड क्र.	
			मुक्त	महिला	मुक्त	महिला	मुक्त	महिला	मुक्त	महिला
			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(1)	(2)	(3)								
1	नगर परिषद् बुढ़ार.	15	04	08	07	-	01	03	02	05
							13	06	10	09
									12	11
										14
										15
	योग		01	01	01	-	02	02	03	05

नगर परिषद् बुढ़ार के वर्ष 2017 का वार्डवार आरक्षण स्टेट्स

वार्ड नं.	वार्ड का नाम	कुल जनसंख्या	अ. जा. की जनसंख्या	अ. जा. का प्रतिशत	अ. ज. जा. की जनसंख्या	अ. ज. जा. का प्रतिशत	आरक्षण स्टेट्स	
							अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./अनारक्षित	महिला/मुक्त
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	महात्मा गांधी वार्ड	1287	14	1.09	85	6.60	अ.पि.वर्ग	मुक्त
2	सरदार पटेल वार्ड	1318	81	6.15	74	5.61	अनारक्षित	मुक्त

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	भगत सिंह वार्ड	1844	8	0.43	26	1.41	अ.पि.वर्ग	महिला
4	शिवाजी वार्ड	987	86	28.98	1	0.10	अ.जा.	मुक्त
5	डॉ. राममनोहर लोहिया	1162	137	11.79	16	1.38	अनारक्षित	महिला
6	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद	1494	316	21.15	279	18.67	अ.वि.वर्ग	महिला
7	सुभाष वार्ड	2023	446	22.05	439	21.70	अ.ज.जा.	मुक्त
8	लालबहादुर शास्त्री	1208	452	37.42	69	5.71	अ.जा.	महिला
9	नेहरू वार्ड	943	64	6.79	30	3.18	अनारक्षित	महिला
10	चंद्र शेखर वार्ड	715	0	0.00	11	1.54	अनारक्षित	मुक्त
11	संजय गांधी वार्ड	1032	0	0.00	28	2.71	अनारक्षित	महिला
12	इंदिरा गांधी वार्ड	1072	36	3.36	35	3.26	अनारक्षित	मुक्त
13	राजीव गांधी वार्ड	474	31	6.54	44	9.28	अ.पि.वर्ग	मुक्त
14	विवेकानंद वार्ड	1599	78	4.88	303	18.95	अनारक्षित	महिला
15	अंबेडकर वार्ड	2131	250	11.73	339	15.91	अनारक्षित	महिला
	योग . . .	19289	2199	11.40	1779	9.22		

स्थान: शहडोल

मुकेश कुमार शुक्ल, कलेक्टर.

दिनांक : 21-04-2017

नगर परिषद् जयसिंहनगर के आम चुनाव वर्ष 2017 के लिये वार्डों के आरक्षण की कार्यवाही विवरण

शहडोल, दिनांक 24 अप्रैल 2017

क्र.-स्था. निर्वा.-2017.—दिनांक 21-04-2017 को अपराह्न 03 बजे कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में म. प्र. नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिये वार्डों का आरक्षण), नियम 1994 में निहित प्रावधानों के अनुरूप पूर्व में जारी विज्ञप्ति क्रमांक 986/स्था.निर्वा./10-04-2017 के अनुसार विहित प्राधिकारी (कलेक्टर), वरिष्ठ लिपिक शाखा, अपर कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार जयसिंहनगर तथा मुख्य नगरपालिका अधिकारी जयसिंहनगर एवं विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि तथा नगर परिषद् जयसिंहनगर के प्रतिनिधियों एवं अन्य गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में नगर परिषद् जयसिंहनगर के आरक्षण की कार्यवाही प्रारंभ की गयी. वर्गवार कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है:—

अ. जा. वर्ग के लिये आरक्षण.—जयसिंहनगर नगर परिषद् की कुल जनसंख्या—8233 है. जिसमें से अनुसूचित जाति वर्ग की जनसंख्या 1109 है. जो कुल जनसंख्या का 13.47% है. जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर कुल 15 वार्डों में 13.47% के आधार पर 2.02 अर्थात् 2 वार्ड अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित किये जाते हैं. जिसमें सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाले वार्ड अरोही क्रम में वार्ड नं. 14 (54.89%), 01 (26.07%), अ. जा. के लिये आरक्षित किये जाते हैं. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 क के अनुसार यथाशक्य 50% पद महिलाओं के लिये आरक्षित रहेंगे. उपरोक्त 2 वार्डों में 50 प्रतिशत के आधार पर 01 वार्ड महिलाओं के लिये आरक्षित रहेगा एवं एक वार्ड मुक्त रहेगा. पूर्व के आरक्षण में वार्ड नं. 01 एवं 14 मुक्त रहे हैं. अतः महिला आरक्षण के लिये वार्ड नंबर 01 एवं 14 को शामिल कर लॉट निकाला गया. लॉट अनुसार वार्ड क्रमांक 01 अ. जा. महिला के लिये तथा वार्ड क्रमांक 14 को अ. जा. मुक्त आरक्षित किया जाता है.

अ. ज. जा. वर्ग के लिये आरक्षण.—जयसिंहनगर नगर परिषद् की कुल जनसंख्या—8233 है. जिसमें से अनुसूचित जनजाति वर्ग की जनसंख्या 1945 है जो कुल जनसंख्या का 23.62% है. जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर कुल 15 वार्डों में 23.62% के आधार पर 3.54 अर्थात् 4 वार्ड अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित किया जाता है. जिसमें सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाले वार्ड अरोही क्रम में वार्ड नं. 10 (58.91%), 04 (54.33%), 03 (38.19%) एवं 150 (32.56%), अ. ज. जा. के लिये आरक्षित किये जाते हैं. उपरोक्त 4 वार्डों में 50 प्रतिशत के आधार पर महिलाओं के लिये दो वार्ड आरक्षित रहेंगे एवं दो वार्ड मुक्त रहेगा. पूर्व के आरक्षण में वार्ड नं. 04

पुरुष के लिये आरक्षित था जो इस बार महिला के लिये आरक्षित किया जाता है. वार्ड नं. 03, 10, 15 पूर्व आरक्षण में महिलाओं के लिये आरक्षित रहे हैं. अतः 01 और वार्ड अजजा महिला के लिये आरक्षित करने के लिये वार्ड नंबर 03, 10 एवं 15 को शामिल कर लाट निकाला गया. लाट अनुसार वार्ड क्रमांक 4 एवं 15 अजजा महिला के लिये तथा वार्ड क्रमांक 10 एवं 3 को अजजा मुक्त आरक्षित किया जाता है.

अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षण.—अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के लिये पूर्व आरक्षण के समय अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित वार्डों को अलग करते हुये एवं अ. जा. एवं अ. ज. जा. के वार्डों के अलग करते हुये शेष बचे हुये वार्डों में कुल वार्डों का 25% के आधार पर कुल 3.74 अर्थात् कुल 04 वार्डों को चयन लाट के माध्यम से किया जावेगा. पूर्व में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित वार्ड 07, 11, 13, 15 थे जिन्हें लाट प्रक्रिया से अपवर्जित किया जाता है. इसी प्रकार अ. जा. के आरक्षित वार्ड 01, 14 एवं अ. ज. जा. के आरक्षित वार्ड 03, 04, 10, 15 भी लाट प्रक्रिया से पृथक् किया जाता है. शेष बचे वार्ड 02, 05, 06, 08, 09, 12 में लाट के माध्यम से 04 अन्य पिछड़ा वर्ग के वार्डों के लिये लाट निकाला गया. लाट के माध्यम से अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये वार्ड नं. 2, 5, 6, 12 आरक्षित किया जाता है. इन अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षित वार्डों में से वार्ड नं. 5, 6 पूर्व आरक्षण में महिला वर्ग के लिये आरक्षित थे. अतः इन्हें इस बार मुक्त किया जाता है तथा वार्ड नं. 12, 2 पूर्व आरक्षण में मुक्त थे. अतः इन्हें अ.पि.व. महिला के लिये आरक्षित किया जाता है. इस प्रकार इस संवर्ग के लिये महिला/मुक्त वार्डों के लिये लाट की आवश्यकता नहीं है. अन्य पिछड़ा वर्ग के वार्ड नं. 5, 6 अ.पि.व. मुक्त वार्ड आरक्षित किये जाते हैं. एवं वार्ड नं. 2, 12 अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिये आरक्षित किये जाते हैं.

अनारक्षित वर्ग के लिये आरक्षण.—अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के लाट से शेष बचे 05 वार्ड (वार्ड नं.7, 8, 9, 11, 13) अनारक्षित वर्ग के लिये रहेंगे. इसमें से पूर्व आरक्षण में वार्ड नं. 7 एवं 8 महिला हेतु आरक्षित थे जिन्हें अनारक्षित मुक्त किया जाता है. एवं वार्ड नं. 9, 11, 13 पूर्व आरक्षण में मुक्त रहे हैं. अतः इनको अनारक्षित महिला आरक्षित किया जाता है. इस प्रकार नगर परिषद् जयसिंहनगर के वार्ड आरक्षण की कार्यवाही पूर्ण की जाती है.

कलेक्टर एवं विहित प्राधिकारी
नगरपालिका/नगर परिषद्
शहडोल, जिला शहडोल (म. प्र.).

नगर परिषद् जयसिंहनगर के वार्डों का आरक्षण चार्ट वर्ष 2017

क्र.	नगरीय निकाय का नाम	कुल वार्डों की संख्या	अ.जा. के लिये		अ.ज.जा. के लिये		अ.पि.वर्ग के लिये		अनारक्षित वार्ड क्र.	
			आरक्षित वार्ड क्रमांक		आरक्षित वार्ड क्रमांक		आरक्षित वार्ड क्रमांक		मुक्त	महिला
			मुक्त	महिला	मुक्त	महिला	मुक्त	महिला		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	नगर परिषद्, जयसिंहनगर.	15	14	01	10,3	4,15	6, 5	12,2	7, 8	9, 11,13
	योग		1	1	2	2	2	2	2	3

नगर परिषद् जयसिंहनगर के वर्ष 2017 का वार्डवार आरक्षण स्टेट्स

वार्ड क्र.	वार्ड का नाम	कुल जनसंख्या	अ. जा. की जनसंख्या	अ. जा. का प्रतिशत	अ. ज. जा. की जनसंख्या	अ. ज. जा. का प्रतिशत	आरक्षण स्टेट्स	
							अ.जा./अ.ज.जा./ अ.पि.व./अनारक्षित	महिला/ मुक्त
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	लालबहादुर शास्त्री	663	177	26.7	75	11.3	अ.जा.	महिला
2	विनोवा भावे	322	12	3.73	15	4.66	अ.पि.वर्ग	महिला
3	रवीन्द्र नाथ टैगोर	453	82	18.1	173	38.19	अ.ज.जा.	मुक्त

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	सुभाष चंद्र बोस	415	5	1.20	226	54.33	अ.ज.जा.	महिला
5	भगत सिंह	329	64	19.45	68	20.67	अ.पि.वर्ग	मुक्त
6	शहीद	465	26	5.59	5	1.08	अ.पि.वर्ग	मुक्त
7	शिवाजी	388	1	0.26	5	1.29	अनारक्षित	मुक्त
8	जयप्रकाश	372	9	2.42	24	6.45	अनारक्षित	मुक्त
9	महात्मा गांधी	622	0	0.00	121	19.49	अनारक्षित	महिला
10	जवाहर लाल नेहरू	606	9	1.49	357	58.91	अ.ज.जा.	मुक्त
11	डॉ. राममनोहर लोहिया	481	44	9.15	112	23.29	अनारक्षित	महिला
12	इंदिरा गांधी	611	109	17.84	83	13.59	अ.पि.वर्ग	महिला
13	डा. श्यामाप्रसाद मुखर्जी	768	14	1.83	197	25.65	अनारक्षित	महिला
14	डॉ. अम्बेडकर	669	367	54.89	136	20.33	अ.जा.	मुक्त
15	राजीव गांधी	10.69	190	17.77	348	32.56	अ.ज.जा.	महिला
	कुल योग . .	8233	1109	13.47	1945	23.62		

स्थान: शहडोल

दिनांक : 21-04-2017.

मुकेश कुमार शुक्ल, कलेक्टर.